न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 39/2021
प्रविष्टि दिनांक 1-7-2021

शंकरलाल पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर निवासी भांवता तह0 टोडारायसिंह जिला-टोंक
--अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रवर्तन निरीक्षक (रसद विभाग) टोडारायसिंह तह0 टोडारायसिंह जिला-टोंक
--रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 18-3-2021 प्रकरण सं0 54/2020

उपस्थितिः-1.श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक -अपीलान्ट की ओर से
2.श्री रामभजन मीणा पेराकार सरकार -रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 22-9-2021

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि जिला रसद टोंक ने आदेश दिनांक 18-3-2021 के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दूकान भांवता तहसील टोडारायसिंह में अनियमितताऐं पाये जाने के कारण अपीलान्ट की दूकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। इस आदेश से अपीलान्ट अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत ग्राम भंवता के लिए उचित मूल्य दुकानदार है। जिसके पक्ष में जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 936 जारी किया हुआ है। प्राधिकार पत्र दिनांक 4-12-2020 को आदेश कमांक 2020/266 से आधार सीडिंग कार्य पूर्ण नहीं करने पर निलम्बित कर दिया है। निलम्बन के पश्चात अपीलान्ट के पास पोश मशीन में उपलब्ध गेहूँ के स्टॉक को अटेचमेंट डीलर को संभलाने के आदेश दिये [illegible] अपीलान्ट को नहीं दी गई, ओर सम्पूर्ण गेहूँ को अटेचमेंट को संभलाने के स्थान पर उक्त [illegible]लर से मिलकर प्रवर्तन निरीक्षक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ने 60.19 क्विंटल गेहूँ नहीं संभलाकर खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया जबकि गेहूँ उपलब्ध था ओर अवैध काल्पनिक आधार पर प्राधिकार पत्र को निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूमि राशि 1000/रूपये जप्त करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ प्राधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 17–12–2019 को विधि विरूद्व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया ओर गलत रिपोर्ट बना कर प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने का आदेश दिया। आदेश के जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट एकलपीठ संख्या 5855/2020 पेश की जिसको स्वीकार कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6–5–2020 को आदेश को अपास्त कर दिया, जिससे प्रवर्तन निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गये ओर यह विधि विरूद्व कार्यवाही की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि उक्त निरीक्षण के आधार पर अपीलांन्ट के विरूद्व थाना टोडारायसिंह में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 203/2020 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज करवाई थी जिसमें भी अनुसंधान अधिकारी ने अपराध नहीं बनना पाया जाकर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रवर्तन निरीक्षक व योग्य अधीनस्थ प्राधिकारी ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपीलान्ट को गलत रूप से परेशान करने के लिए मिथ्या कार्यवाही की है, जिससे आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जहाँ तक आधार सीडिंग का प्रश्न है प्रवर्तन निरीक्षक टोडारासिंह द्वारा कभी निर्देश नहीं दिये गये प्रथम बार नोटिस मिलने के बाद कार्य पूरा कर लिया। बरवक्त निरीक्षण अपीलान्ट के पास पूरा गेहूँ उपलब्ध था किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीलर से साज करके वहॉ उपलब्ध 201.19 क्विंटल के स्थान पर मात्र 141 क्विंटल संभलाया है। जबकि शेष गेहूँ जो अपीलान्ट को वितरण हेतु प्राप्त हुआ था उसी स्थान पर उपलब्ध था जो जान बूझकर नहीं संभलाया गया, गेहूँ आज भी उसी स्थिति में मोजूद हैं। प्रवर्तन निरीक्षक व अधीनस्थ प्राधिकारी की कार्यवाही अवेध व अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल की जावे। अपीलान्ट द्वारा कोविड–19 के कारण आवगमन बन्द रहने के कारण व नकल समय पर नहीं मिलने के कारण जो देरी हुई है उस देरी को कन्डोन करने का दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि श्री शंकरलाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम भांवता तह० टोडारायसिंह जिला–टोंक द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आधार सीडिंग से शेष रहे उपभेगताओं की सीडिंग करवाने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बार–बार निर्देशित करने पर भी आधार सीडिंग कार्य पूर्ण नहीं करवाने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन माना जाकर डीलर को जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 24–12–2020 से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया था। इस सम्बन्ध में सीडिंग कार्य करने के लिए डालर को बार–बार निर्देशित किये जाने पर भी नहीं किया तथा नोटिस कमांक 5383 दिनांक 15–12–2020 एंव कमांक 1273 दिनांक 24–12–2020 जारी कर डीलर से अनियमित्ताओं का बिन्दुवार जवाब मांगा गया था। अप्रार्थी डीलिर द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 27–1–2021 को प्रस्तुत किया जिसमें बीमार हो जाने के कारण सीडिंग कार्य नहीं हो पाने एंव अब सीडिंग कार्य पूर्ण करवाना अंकित किया [illegible] डीलर ने पोश मशीन पर उपलब्ध गेहूँ 201.19 क्विंटल के स्थान पर मात्र [illegible] डीलर को संभलाया है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा अटेचमेंट डीलर को 60.19 क्विंटल गेहूँ कम संभलाया है ओर गेहूँ को खुर्द बुर्द कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 11 का स्पष्ट उल्लघन है। प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह की रिपोर्ट दिनांक 19–1–2021 अनुसार अपार्थी डीलर द्वारा की गई उक्त अनियमित्ता पाये जाने के कारण

अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के बीमार हो जाने के कारण वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आधार सीडिंग से शेष रहे उपभेगताओं की सीडिंग का कार्य अपीलांट द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है,परन्तु इसके साक्ष्य मे बीमार होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज/डाक्टर की पर्ची आदि पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि वास्तव में डीलर उक्त अवधि में बीमार रहा है। अपीलांट (डीलर) ने पोश मशीन पर उपलब्ध गेहूँ 201.19 क्विंटल के स्थान पर मात्र 141 क्विंटल गेहूँ अटचमेंट डीलर को संभलाया है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा अटेचमेंट डीलर को 60.19 क्विटल गेहूँ कम संभलाया है ओर गेहूँ को खुर्द बुर्द कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है। अटेचमेंट डीलर को उक्त गेहूँ संभलाते समय अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर है। यदि बरवक्त निरीक्षण गेहूँ दुकान में उपलब्ध था और जॉच के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नजर अन्दाज कर कार्यवाही की गई है तो डीलर द्वारा चार्ज की कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को तत्समय ही की जानी चाहिये थी,परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो,ऐसा दस्तावेजात/साक्ष्य पत्रावली मे संलग्न नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितताये किये जाने पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था,तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। नोटिस का जवाब नही दिये जाने पर ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित ओदश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 18–3–2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner